क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0453/O.A. No. 462/2024

दिनांकः–
Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 462/2024, Sampurna Nand Vs Raju Stone Product.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 462/2024, Sampurna Nand Vs Raju Stone Product, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

04/05/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Scanned with OKEN Scanner

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 462/2024 Sampurna Nand vs. M/s Raju Stone Product & Ors.

1. UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 20.01.2024 (Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was not received as on dated-08.02.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of previous CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	NO	As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice. The said stone crusher has not obtained valid CTO from UPPCB. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyor belts.	NO	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	NO	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).
5. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

04/05/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No 1705660/सी-2/NGT NO-67/S.C.N./24 दिनांक Date 12-1-24

सेवा मे, पंजीकृत

M/S RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग में राज्य बोर्ड से बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रेनोवेसन का कार्य किया जाता पया गया एवं उद्योग में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिगत एवं जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

20-01-2024
प्राप्त किया
काल्लू भाई
9335405104

Scanned with OKEN Scanner

12/02/2024

श्रीमान् प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि श्रीमान् जी के कार्यालय द्वारा एक नोटिस Ref No-H05668/सी-2/NGT No.-67/CC/24 दिनांकित 12/01/2024 हम प्रार्थी को 25 जनवरी सन् 2024 को प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी का राजू स्टोन प्रोडक्टस् क्रेशर प्लांट जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण प्लांट कई महीनो से बन्द चल रहा हैं। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त प्लांट का रिपेयर व कुछ नये पार्टस को बदलवाने का कार्य करवा रहा है। जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2023 ई0 को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र को दे दिया गया है। हम प्रार्थी के उक्त क्रेशर प्लांट का बाउण्ड्रीवाल एवं पानी छिड़काव के लिये स्प्रिकलर लगवा रखा है तथा प्लांट कार्य मानक के अनुसार वृक्षारोपड़ भी कराया है जिसमें लगभग वृक्षो की कुल संख्या 300 होगी जिसकी ऊँचाई 4 फीट से लेकर 40 फीट तक की होगी। प्रार्थी द्वारा समूचित वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था किया गया है। जिसका फोटो जियोटैग के साथ संलग्न कर रहा हूॅ। जिसकी पुष्टि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र से दिनांक 31.08.2013 ई0 को किया गया है जिसका Ref No-3216 है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त क्रेशर प्लांट की मरम्मत कराने के बाद सभी मानको को पूर्ण करने के पश्चात् ही क्रेशर प्लांट का संचालन करेगा।

दिनांक 07.02.2024

जावेद अहमद

प्रार्थी

राजू स्टोन प्रोडक्टस

भगौती देई चुनार, जिला मीरजापुर।

सूचानार्थ प्रतिलिपि प्रेषित

1. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, जनपद मीरजापुर।
2. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जनपद सोनभद्र।

0/1887

13/02/2024

संलग्नक –

क्रेशर प्लान्ट स्थल का फोटोग्राफ –

(I) पेज न० 1 व पेज न० 2

(II) रिफेरेन्स न० 3216 का छाया प्रति –

Scanned with OKEN Scanner

नोट- चित्र नं० 1 से चित्र नं० 3 तक पुष्पा सेफड़

पेज नं० 1

चित्र नं० 1

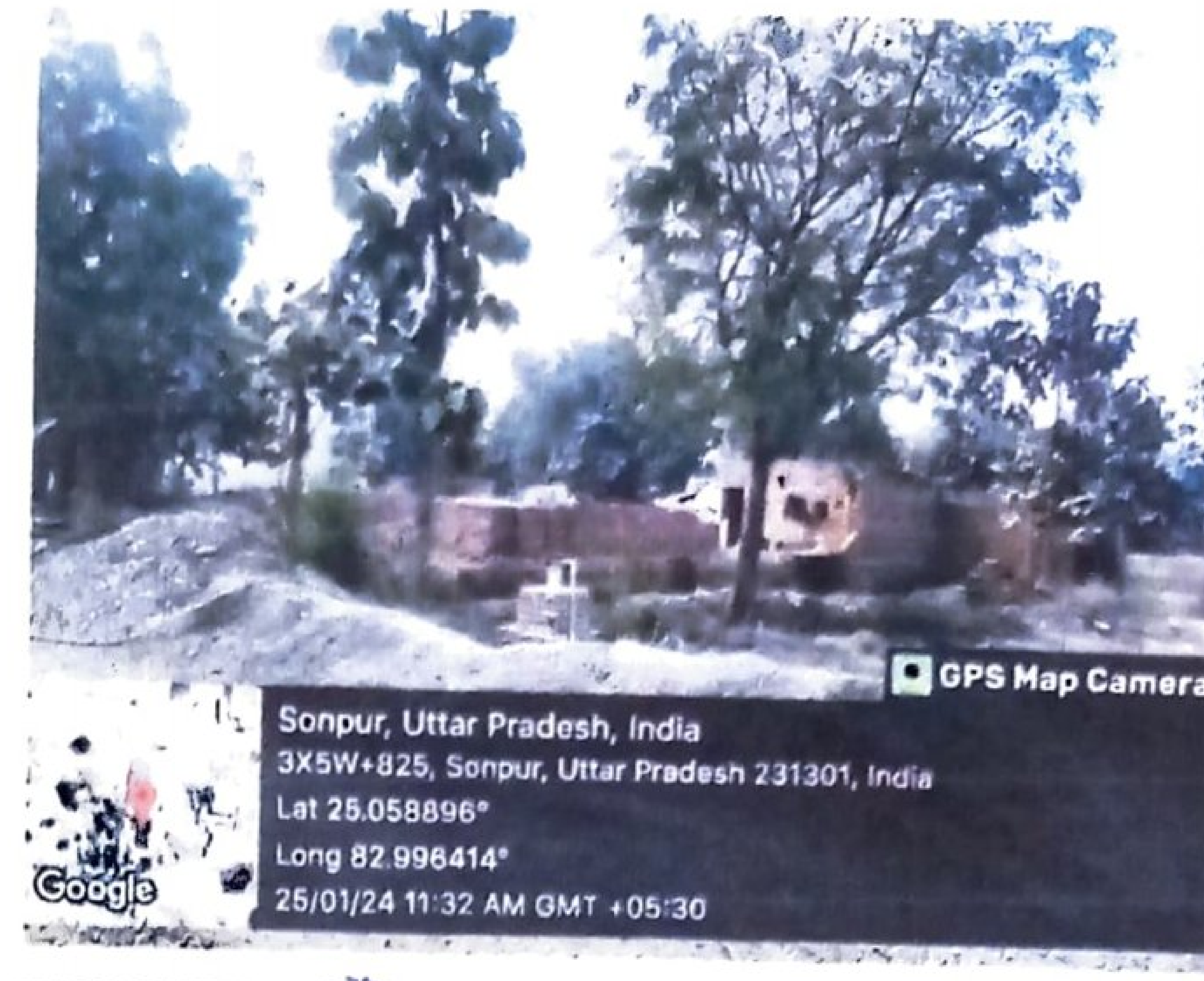

चित्र नं० 2

चित्र - 3

चित्र नं० 4

चित्र नं० 5

चित्र नं० 6

नोट- चित्र नं० 4 से चित्र नं० 6 तक बाउन्ड्रीवाल

प्रो० जावेद अहमद
वास्ते- राजू स्टोन फ्राइकर्स

नोट- चित्र नं० 1 से चित्र नं० 3 तक बन्द प्लान्ट का फोटो ग्राफ

चित्र नं० 1

चित्र नं० 2

चित्र नं० 3

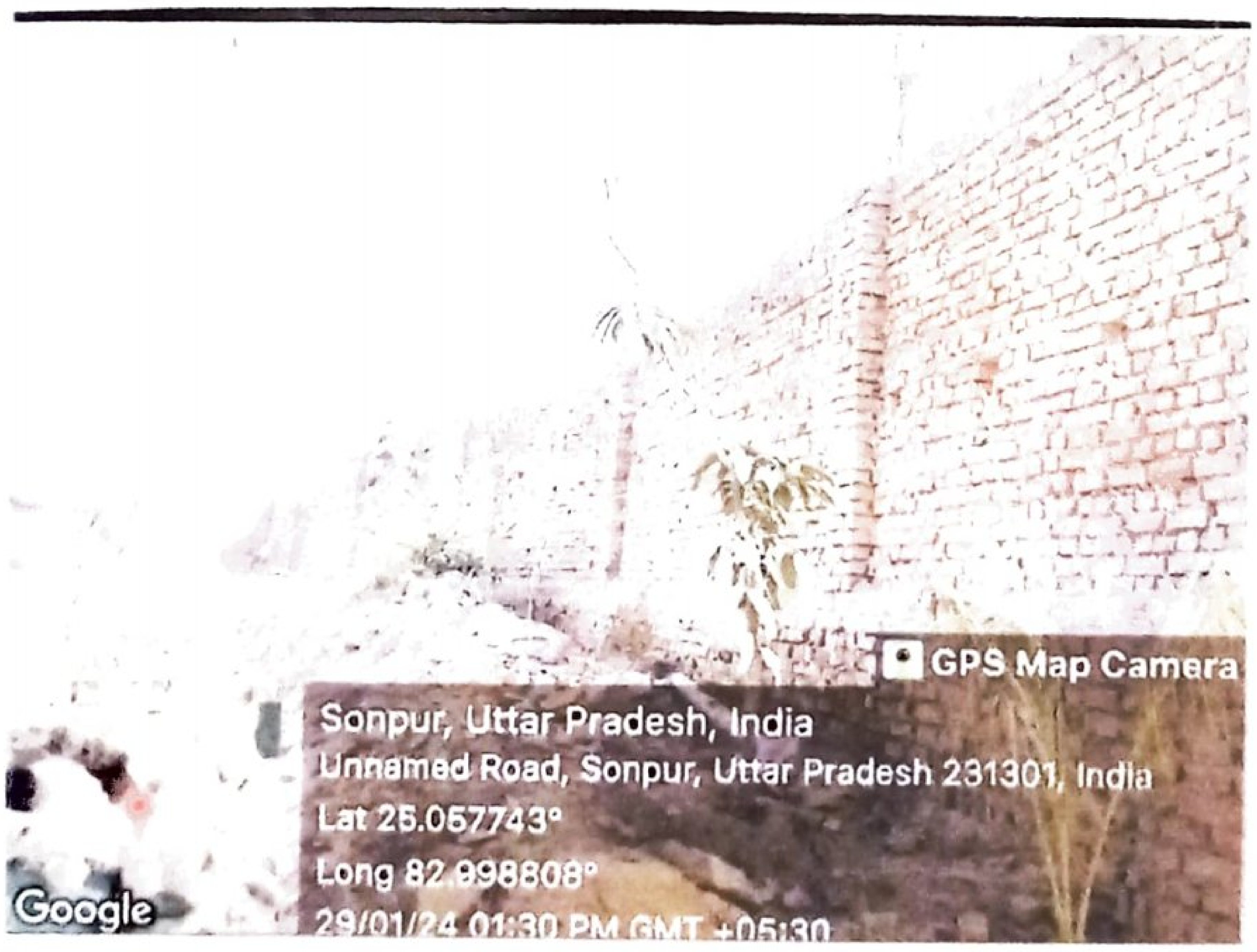

प्रो० जावेद अहमद
वास्ते - राज स्टोन मोडवं

REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONEBHADRA

पत्रांक [illegible] / सम्मति / [illegible]

दिनांक
Date 31/08/2013

सेवा में,

वन अधिकारी,
मिर्जापुर।

विषय: जनपद में स्थापित स्टोन क्रेशर/ब्रिकिंग प्लान्ट इकाईयों के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर [illegible] प्रधान, मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-1242 /सीजेएम/2013 दिनांक 29-08-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित सूची में मैसर्स [illegible] स्टोन [illegible], [illegible] मिर्जापुर [illegible] वन विभाग द्वारा [illegible] अनापत्ति [illegible] है। मैसर्स [illegible] स्टोन [illegible] संचालन हेतु इस कार्यालय [illegible] जल/वायु [illegible] नियमानुसार [illegible] निर्गत किया गया है जिसकी [illegible] तक है।

भवदीय,

([illegible] सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,
SONBHADRA

संदर्भ सं0 जी0 003 /0AND-521/S.C./2024 दिनांक–08.02.2024

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स राजू स्टोन प्रोडक्ट, ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम्, 1981(यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखऊ के सदंर्भ संख्या–एच05668/सी–2/एन0जी0 टी0–67/एस0सी0एन0/24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग परिसर में नया डग स्थापित पाया गया एवं परिसर में नया प्लांट/मशीनरी रखी हुई पायी गयी। उद्योग द्वारा पुरानी प्लाण्ट एवं मशीनरी को राज्य बोर्ड से बिना सी0टी0ई0 प्राप्त किये नई मशीनरी से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स–राजू स्टोन प्रोडक्ट, ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक–12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर 240 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रूपये मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स राजू स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्याः–

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या–HO5668/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी दिनांक–08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त उद्योग ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के आ0सं0–611, 685, 687, 679, 724 व 727 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स **25.058795**–अक्षांश एवं **82.997373**–देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 48,000 टन/वर्ष सूचित है। उद्योग संचालित अवस्था में नहीं पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में पुराने डग के साथ–साथ एक नया डग का निर्माण हुआ पाया गया। पुरानी प्लाण्ट मशीनरी स्थल पर स्थापित नहीं पायी गयी, जबकि नयी प्लाण्ट मशीनरी स्थल पर रखी हुई पायी गयी।
4. उद्योग का जिलास्तरीय समति द्वारा माह जून, 2023 में किये गये निरीक्षण के समय उद्योग की प्लाण्ट मशीनरी स्थापित पायी गयी थी तथा भौतिक तथ्यों से उद्योग का संचालन होने का तथ्य प्रकाश में आया था।
5. उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–3 एवं 4 के अनुसार पूर्व में स्थल पर उद्योग की मशीनरी संचालन अवस्था में स्थापित थी एवं अद्यतन निरीक्षण के समय पुराने डग के साथ नया डग एवं स्थल पर पुरानी मशीनरी के वजाय नई मशीनरी रखी हुई पायी गयी। जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी में रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त नहीं किया गया है।
6. उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त किये बिना उद्योग की मशीनरी/उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित रिनोवेशन का कार्य किया जाना तथा नये डग के साथ–साथ नई मशीनरी अर्थात् नये उद्योग की स्थापना किया जाना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन होना दर्शाता है। यह कृत्य राज्य बोर्ड से पूर्व में जारी सहमति की शर्तो का उल्लंघन है।
7. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार, उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5668/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्रमशः 2/पर....

Scanned with OKEN Scanner

8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 के अनुसार उद्योग में पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग संचालन अवस्था में नहीं पाया गया था। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023, दिनांक–29.12.2023 एवं दिनांक–30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.01.2024 के अनुसार उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से बिना सी0टी0ई0 प्राप्त किये उद्योग की प्लाण्ट/मशीनरी को प्रतिस्थापित किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उद्योग की प्लाण्ट एवं मशीनरी को दिनांक–23.08.2023 को सील किया गया था।

9. उद्योग को राज्य बोर्ड से पूर्व में दिनांक–04.07.2018 को दिनांक–31.12.2022 तक की अवधि हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है तथा उद्योग के बन्द होने की सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखानुसार दिनांक–06.05.2022 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्योंनुसार तत्समय सहमति शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा था। तत्क्रम में उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक–05.05.2022 को नोटिस प्रेषित किया गया था (छायाप्रति संलग्न है)। उक्त का प्रतिउत्तर कार्यालय अभिलेखों में प्राप्त नहीं है।

10. उपरोक्त बिन्दु संख्या–8 एवं 9 पर वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक–06.05.2022 से वैधता सहमति तिथि 31.12.2022 तक की अवधि अर्थात् 240 दिनों की डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक–08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 240 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगाः–

क्रमशः 3/पर....

Scanned with OKEN Scanner

(3)

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

PI=50 (**Pollution Index=**50 for orange category unit)
N =240 (No. of days from which the non-compliance has been observed)
R = 250 (R factor in Rupees)
S = 0.5 (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)
LF=1.0 (Location Factor=**1.0 as population of Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac**. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF
= 50 x 240 x 250 x 0.5 x 1.0
= Rs. 15,00,000/- (Rs. Fifteen Lacs) only.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स राजू स्टोन प्रोडक्ट्स, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5668/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उक्त संदर्भित उद्योग पर **240** दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रू0 15,00,000.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner